

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/583

बडी कोरानी ठिकाना कुन्हाडी कोटा रिद्वि-सिद्वि पत्नी स्व० श्री गजेन्द्र सिंह जी निवासी कुन्हाडी, कोटा ।

---अपीलान्त

बनाम

1. मुरली मनोहर आत्मज श्री मनोहरलाल नाबालिग ।
2. महेन्द्र कुमार आत्मज श्री मनोहर लाल नाबालिग जरिये वली माता विमला बकाई बेवा श्री मनोहर लाल जी ।
3. विमला बाई बेवा श्री मनोहर लाल जाति गुर्जर निवासीगण सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राधेश्याम आत्मज श्री रामचन्द्र जी जाति गुर्जर मृतक जरिये कायममुकामान :-
 - 4/1. प्रदीप आत्मज श्री राधेश्याम ।
 - 4/2. मेनावती पुत्री श्री राधेश्याम ।
 - 4/3. कृष्णा पुत्री श्री राधेश्याम ।
 - 4/4. नट्टी बाई पत्नी श्री राधेश्याम जाति गुर्जर निवासीगण सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. रामगोपाल दत्तक पुत्र श्री धन्ना लाल ।
6. रामकैलाश आत्मज स्व० श्री सूरजमल जी ।
7. रामभरोस आत्मज स्व० श्री सूरजमल जी ।
8. देवलाल आत्मज स्व० श्री सूरजमल जी ।
9. रामप्यारी पुत्री स्व० श्री सूरजमल जी ।
10. हंस कंवर पुत्री स्व० श्री सूरजमल जी जाति गुर्जर निवासीगण सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री लीलाधर अग्रवाल, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 11.09.2018

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2014 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।



2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोजेन्ट क्रम 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 92 (ए) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 24 की 2.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 25 की 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 26 की 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 556 की 0.46 हैक्टर कुल 04 किता की 4.07 हैक्टर भूमि स्थित है। सेटलमेंट के पूर्व पुराने खसरा नम्बर 275 रकबा 30 बीघा 06 बिस्वा था जो वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 से 7 के पिता दादा के नाम यानी धन्ना, श्रीकृष्ण पिसरान लाडक्या व राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र व सूरजमल पुत्र लोडक्या के नाम जैली के रूप में दर्ज थी। आराजी खसरा नम्बर 275 की 30 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से केवल मात्र 25 बीघा भूमि पर प्रतिवादी क्रम 8 के केचमेंट विभाग द्वारा केचमेंट कार्य किया गया जिसके बाद केचमेंट नये खसरा नम्बर 461 की 23 बीघा 02 बिस्वा कायम किया गया। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 से 7 के साथ-साथ श्रीमती बडी कौराणी जी कुन्हाडी का नाम भी दर्ज होने से वादीगण व प्रतिवादीगण को ऋण आदि लेने व उन्नत कृषि कार्य करने में परेशानी पैदा हो रही है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण के लिए न्यायालय में घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती हेतु वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।
3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में से श्रीमती बडी कौराणी जी कुन्हाडी का नाम डिलीट फरमाया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2014 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए दावा डिक्री कर दिया।
5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि खातेदार व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलान्ट के हित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से हित प्रभावित हुए हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।
6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं क्योंकि वह वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।
7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार हैं और उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बताया है जबकि रिकॉर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य होता है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित पक्षकार हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. अपीलान्त ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
9. अपील अपीलान्त सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
10. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थिति है वादीगण रेस्पोजेन्ट ने वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को जैली काश्तकार बताकर हक, घोषणा का दावा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय में केवल राज्य सरकार प्रतिवादी को नोटिस जारी कर दावा डिक्री किया है और अपीलान्त का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर रेस्पोजेन्ट के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हैं जो त्रुटिपूर्ण है । किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने से पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है परन्तु इस प्रकरण में रिकॉर्डेड खातेदार को न तो नोटिस दिये गये न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । दावा **nonjoinder of necessary parties** के नुक्स से प्रभावित है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2014 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1982 पेज 321 उद्धरत की ।
11. रेस्पोजेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने दिनांक 14.08.2018 को बहस हेतु समय चाहा था । दिनांक 14.08.2018 को अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनकर पत्रावलरी दिनांक 27.08.2018 को आदेश में नियत की गई और रेस्पोजेन्ट के विद्वान अभिभाषक को निर्देशित किया गया कि दिनांक 27.08.2018 से पूर्व बहस कर सकते हैं । दिनांक 27.08.2018 को रेस्पोजेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पेश किया और यह कथन किया कि रेस्पोजेन्ट क्रम 4, 5 व 6 राधेश्याम, रामगोपाल व रामकैलश की मृत्यु हो चुकी है । मृत्यु की सूचना रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोजेन्ट क्रम 4, 5 एवं 6 की मृत्यु की सूचना रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे ।
12. इस प्रार्थना पत्र का विद्वान अभिभाषक अपीलान्त जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब पत्रावली आदेश में लम्बित है तो उसमें किसी प्रार्थना पत्र को न तो पेश किया जा सकता है और न ही उस पर बहस की जा सकती है । अपने पक्ष के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 08.07.2016 Govt. of NCT of Delhi बनाम Union of India , राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्णय दिनांक 20.03.2002 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2000 उद्धरत किये ।

13. रेस्पोजेन्ट के लायक अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट को प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी से क्या सम्बन्ध है तथा अपीलान्ट का उक्त आराजी पर क्या विधिक अधिकार प्राप्त हैं, इस बाबत अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं । अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो में कहीं भी यह आलेखित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी का कभी उन्होंने उपयोग एवं उपभोग किया है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोजेन्ट का है । बडी कौरानी रिद्धि सिद्धी कुमारी ही हैं यह प्रमाणित नहीं होता है । रेस्पोजेन्ट क्रम 4, 5 व 6 रामधेश्याम, रामगोपाल एवं रामकैलाश का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी सूचना दिनांक 27.08.2016 को दी जा चुकी है । अपीलान्ट ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है अपील अबेट होने योग्य है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है और विलम्ब के कोई समुचित कारण भी दर्शित नहीं किये हैं । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण पर भी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे ।
14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 जिसके अनुसार नया खाता 191 की आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 2.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.41 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 556 रकबा 0.46 हैक्टर कुल किता 04 की रकबा 4.07 हैक्टर भूमि श्रीमती बडी कौराणी ठिकाना कुन्हाडी खातेदार जैली राधेश्याम पिता रामचन्द्र, रामगोपाल दत्तक पुत्र धन्ना, रामकैलाश, रामभरोस, देवलाल पुत्रान रामप्यारी, हंसकवर पुत्रियाँ सूरजमल, मुरलीमहनोहर, महेन्द्र कुमार नाबालिग पुत्र मनोहरलाल व विमला बाई बेवा मनोहर लाल नाबा0 की वली माता खुद व रूपाबाई बेवा श्रीकृष्ण कौम गुर्जर दर्ज है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में खातेदार बडी कौराणी जी को पक्षकार नहीं बनाया गया है । बिना खातेदार कृषक को पक्षकार बनाये हक, घोषणा का दावा डिकी किया गया है न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है ।
16. रेस्पोजेन्ट के द्वारा दिनांक 27.08.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह अवगत करवाया गया है कि रेस्पोजेन्ट क्रम 4, 5 व 6 की मृत्यु हो गई है । अपील दिनांक 21.02.2015 से लम्बित है जब पत्रावली बहस के उपरान्त निर्णय में आई तब रेस्पोजेन्ट के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और यह कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट क्रम 4, 5 एवं 6 की मृत्यु हो चुकी है जबकि उनकी भी जिम्मेदारी थी कि सही समय पर न्यायालय को इसकी सूचना देते । मृत्यु की तिथि भी अंकित नहीं की गई है न ही मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है । इनमें से रेस्पोजेन्ट क्रम 4 के कायम मुकाम पूर्व में ही रिकॉर्ड पर मौजूद हैं । अभिभाषक अपीलान्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.07.2016 एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.03.2002 और दिनांक 24.10.2000 को उद्धरत किया है जिसके अनुसार जो पत्रावली आदेश में लम्बित है तो उसमें उसके बाद कोई प्रार्थना पत्र विचारणीय नहीं होगा । इन नजीरों की रोशनी में हम रेस्पोजेन्ट के कायममुकामान बनाने के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित करना उचित नहीं समझते हैं ।

17. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से हम इस प्रकरण में खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे ये निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।
18. रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना जिसमें रेस्पोजेन्ट क्रम 4, 5 एवं 6 के मृत्यु की जानकारी दी गई है उनमें से रेस्पोजेन्ट क्रम 4 के कायममुकाम पूर्व से ही रिकॉर्ड पर मौजूद हैं । रेस्पोजेन्ट क्रम 5 व 6 ने कायम मुकामान को अधीनस्थ न्यायालय में रिकॉर्ड पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।
19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्त को प्रतिवादी बनाकर जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । मृतक रेस्पोजेन्ट क्रम 5 व 6 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेकर अग्रिम कार्यवाही करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
20. निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

dw/11.9.18

(भागवंती जैठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा